❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर–302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2022–23 / 9600 दिनांक 01-08-2022

निमित्त,

Vishnu Kumar Agarwal,
D-46-B, Malviya Marg, C-Scheme,
Jaipur302001

विषय :– जयपुर जिले की तहसील कोटपूतली के ग्राम– दूदावास व बूचारा (वन खण्ड गावडी –68) में क्वार्ट्ज एवं फैल्सपार खनन कार्य हेतु 32.5417 हैक्टर वन भूमि के अनारक्षण के कम में।

सन्दर्भ :– आपके पत्रांक दिनांक 4.7.2022 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में लेख है कि आपके द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली का निरीक्षण करने पर उक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पायी गई हैं। अतः इनका स्पष्ट प्रत्युतर पुनः भिजवाना सुनिश्चित करें:–

1. आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि हेतु ग्राम बुचारा तहसील पावटा जिला जयपुर के खसरा नं. 1249 / 1863 रकबा 13.72 है0 भूमि किस्म पहाड का सम्पूर्ण क्षेत्रफल व खसरा नं. 1194 क्षेत्रफल 53.60 है0 भूमि किस्म पहाड का आंशिक क्षेत्रफल 18.8217 है0 कुल क्षेत्रफल 32.5417 है0 भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर में विचाराधीन है। उक्त के कम में संलग्न किये गये खसरा नक्शा सत्यापित नही हैं। साथ ही नक्शे में खसरा नं0 1194 स्पष्ट नही हैं। अतः राजस्व नक्शा (1:40 के स्केल), जमाबंदी, जी0 टी0 शीट (1:50000 के स्केल) पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसकी के0एम0एल0 फाईल व समस्त बिन्दुओं के जी0पी0एस0 कॉडिनेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करें। जिससे विचाराधीन समतुल्य गैर वन भूमि का निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली से करवाया जा सकें, ताकि पता चल सके कि गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।
2. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों / नक्शों पर खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग कोटपूतली के हस्ताक्षर मय नाम, पद, मुहर व दिनांक अंकित करवाया जाना अपेक्षित हैं।
3. पूरे प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों के सारांश का दिया जाना प्रस्तावित हैं।
4. आप द्वारा जमा करायी गई पत्रावलियों में खसरा नंबर 233, 234 व 248 की सत्यापित जमाबन्दी नही लगायी गई हैं।
5. आप द्वारा जमा करायी गई पत्रावलियों में पेज संख्या 65 से 143 पर आवेदक के हस्ताक्षर नही हैं।
6. गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिये भूस्वामी का सहमति पत्र लगाया जाना प्रस्तावित हैं।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति करते हुये पार्ट–1 में अपडेट कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करावें, ताकि प्रकरण में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न :– मूल पत्रावली .... सेट में।

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2022–23 / दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है :–

1. खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग कोटपूतली ।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)